



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

**राज्य के +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की
नियुक्ति के संबंध में।**

विज्ञापित संख्या - 003/2012

विज्ञापित संख्या - 117/2011 के क्रम में एतद् द्वारा राज्य के +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले वैसे विकलांग अभ्यर्थी, जो नेत्रहीन या शारीरिक रूप से विकलांग या Spastic हैं, को सूचित किया जाता है कि उन्हें निम्न शर्तों के अधीन श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा-

- (1) अभ्यर्थी को सिविल सर्जन/जिला असेनिक शल्य चिकित्सक से विकलांगता का प्रमाण-पत्र एवं अभ्यावेदन संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
- (2) संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रमाणिक प्रमाण-पत्र के आधार पर इन्टरमीडिएट स्तर में अध्ययनरत् अभ्यर्थी को श्रुतिलेखन हेतु उनके योग्यता की जाँच कर नियुक्त करेंगे और उनका अनुमोदन परिषद् कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे।
शेष शर्तें यथावत रहेगी।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

सचिव

JAC/PGT/10+2/13441/11/SECY/17/2012

Dt.: 19.01.2012

D.O.P : 20.01.2012

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।